ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

ANSARI NAGAR, NEW DELHI-110029

(ACADEMIC SECTION)

No.F.Misc./AIIMS/2020-Acad.II

Dated the: 15th April, 2020

APPEAL

Subject: Donation of one day salary to 'Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM Cares Fund)- reg.

In continuation of the Appeal No.F.Misc/AIIMS/2020-Acad.II dated 7th April, 2020 and the Resident Doctor's Association request letter dated 8th April, 2020 wherein the RDA has declined to donate one day salary to the Prime Minister's citizen Assistance and Relief in Emergency Situations (PM CARES) Fund with an OPT-OUT option.

The Resident Doctor's Association is hereby informed that no deduction will be made from the salaries of the Resident Doctors. Those Residents who wish to donate to the PM CARES fund should inform the Academic Section, in writing, by 20th April, 2020. There is no shortage of funds at AIIMS, New Delhi for procurement of PPEs and therefore no donation shall be accepted from Resident Doctors for local use at AIIMS New Delhi.

This has been issued with approval of Competent Authority.

Distribution:-

- 1. All Chief of Centres/ Head of the Departments
- 2. PPS to Director, AIIMS.
- PS to Dean, Academic, AIIMS.
- Chief Administrative Officer,
- 5. P.S. to Sr. Financial Advisor/ Financial Advisor
- 6. President, RDA,
- 7. The Computer Facility with a request to upload this on official website of the Institute
- 8. The Sr. Hindi Officer: with a request to provide the Hindi version of the same for uploading on AIIMS website.

प्राप्त किया / RECEIVED कम्प्यूटर सुविधा / Computer Facility 15 APR 2020 REGISTRAR

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 (शैक्षिक अनुभाग)

फा.सं.विविध/एम्स/2020-शै.।।

दिनांक: 15 अप्रैल, 2020

<u>अपील</u>

विषय: आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पी एम केयर्स फंड) में एक दिन का वेतन दान करने संबंधी।

यह अपील उपर्युक्त विषयक संस्थान के दिनांक 7 अप्रैल, 2020 की अपील सं. फा.सं.विविध/एम्स/2020-शै.।। और रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा उनके दिनांक 8 अप्रैल 2020 के अनुरोध पत्र के अनुक्रम में है, जिसमें रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पी एम केयर्स फंड) में ऑप्ट-आउट विकल्प के साथ एक दिन का वेतन दान करने से मना कर दिया गया है।

इस संबंध में, रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन को, एतद्व्वारा, यह सूचित किया जाता है कि रेजीडेंट चिकित्सकों के वेतन में से कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। जो रेजीडेंट चिकित्सक पी एम केयर्स फंड में दान देना चाहते हैं वे दिनांक 20 अप्रैल, 2020 तक लिखित में शैक्षिक अनुभाग सूचित करें। एम्स, नई दिल्ली के पास पी पी ई खरीदने के लिए फंड की कोई कमी नहीं है और इसलिए एम्स, नई दिल्ली में स्थानिक प्रयोग के लिए रेजीडेंट चिकित्सक से कोई भी दान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

यंगी व ली ली वी नी इस प्रिक्र कुल-सचिव

<u>वितरण:-</u>

- 1. सभी केन्द्र-प्रमुखगण/विभागाध्यक्षगण।
- 2. निदेशक महोदय, एम्स के प्रधान निजी सचिव।
- 3. संकायाध्यक्ष (शैक्षिक), एम्स के निजी सचिव।
- 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार/वित्त सलाहकार के निजी सचिव।
- 6. अध्यक्ष, रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन।
- 7. कंप्यूटर सुविधा इसे संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।